

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी  
वाद संख्या

:- श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस  
:- 16/2018

उनवान

1. साधूराम पुत्र जीवन राम यादव जाति अहीर निवासी घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
2. समदाराम पुत्र नाथू राम यादव जाति अहीर निवासी बिदारा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
3. योगेन्द्र कुमार नृसिंह लाल यादव जाति अहीर निवासी घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
4. मुरलीधर पुत्र नाथूराम यादव जाति अहीर निवासी उदावाला तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
5. रमेश चन्द पुत्र दयालराम यादव जाति अहीर निवासी लोचूकाबास तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. कालूराम पुत्र नाथू
2. कौशल्या देवी पत्नी समदाराम यादव
3. प्रेमदेवी पत्नी मालीराम
4. ओमप्रकाश पुत्र मालीराम
5. रामगोपाल पुत्र मालीराम
6. विमला देवी पुत्री मालीराम
7. कमला पुत्री मालीराम
8. मिश्री पुत्री मालीराम
9. कैलाश पुत्र भंवरा

समस्त जाति यादव निवासियान देवा की ढाणी  
तन बिदारा तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

10. पूरण मल पुत्र छोटूराम
11. केशरी देवी पत्नी नृसिंह लाल
12. नर्बदा देवी
13. भगवती देवी
14. मुन्नी देवी
15. भगवती देवी

समस्त जाति यादव निवासी घासीपुरा  
तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

16. मंगली देवी पत्नी प्रभू दयाल यादव नि. बिदारा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
17. सुरजी देवी पत्नी छोटू राम यादव नि. घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
18. सूणी देवी पत्नी कालूराम यादव नि. बिदारा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।
20. प्रबंधक, यूको बैंक शाहपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर।
21. प्रबंधक, ओबीसी बैंक शाखा शाहपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर।

पुत्रियान् हरनाथ जाति ब्राह्मण नि. बावड़ी की ढाणी  
तन घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।


प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्रराज रकबा बरारी बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 1-10-2020

वादीगण की ओर से यह वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आ.ख.न 1583 रकबा 1.63 है0, 1585 रकबा 1.45 है0, 1584 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम बिदारा तह. शाहपुरा में स्थित है । आ.ख.नं. 1583 रकबा 1.63 है0 में से ख.नं. 1583/1 रकबा 0.19 है0 भव एवं पथ सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के नाम नामान्तरण स्वीकार होकर खसरा नं. 1583 रकबा 1.44 है0 शेष रहा जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/2 प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 33/192, प्रतिवादी सं. 3 लगायत 8 व 9 का हिस्सा 33/192, प्रतिवादी सं. 10 व 11 का हिस्सा 7/96, प्रतिवादी सं. 12 लगायत 15 का हिस्सा 1/12, वादी सं. 1 का हिस्सा 5/20, वादी सं. 2 का हिस्सा 6/20, वादी सं. 3 का हिस्सा 1/20 दर हिस्सा 1/8, वादी सं. 4 व 5 का हिस्सा 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

आ.ख.नं. 1584 मे से खसरा नं. 1584/ रकबा 0.21 है0 जनपथ सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के नाम स्वीकार हुआ। खसरा नं. 1584 रकबा 0.85 है0, प्रतिवादी सं. 1 के 1/2 प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 33/192, व 7/128 प्रतिवादी सं. 3 लगायत 8 व 9 का हिस्सा 33/192, प्रतिवादी सं. 10 व 11 का हिस्सा 7/96, प्रतिवादी सं. 12 लगायत 15 का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं. 1 का 11/64 प्रतिवादी सं. 17 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी सं. 18 का हिस्सा 7/128 एवं वादी सं. 3 का हिस्सा 5/20, वादी सं. 2 का हिस्सा 6/20, वादी सं. 3 का हिस्सा 9/20 दर हिस्सा 1/8, वादी सं. 4 व 5 का हिस्सा 1/8 व राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

  
सहायक कलक्टर  
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

आ.ख.नं. 1585 रकबा 1.45 है० में प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 33/192 व 1/16 प्रतिवादी सं. 3 लगायत 8 व 9 का हिस्सा 33/192 प्रतिवादी सं. 10 व 11 का हिस्सा 7/96 प्रतिवादी सं. 12 लगायत 15 का हिस्सा 1/12 प्रतिवादी सं. 17 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी सं. 18 का हिस्सा 1/16 एवं वादी सं. 1 का हिस्सा 5/20, वादी सं. 2 का हिस्सा 6/20 वादी सं. 3 का हिस्सा 9/20 दर हिस्सा 1/8, वादी सं. 4 व 5 का हिस्सा 1/8 व हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

आराजीयात में पक्षकारान अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं तथा राजस्व रिकार्ड दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार मौके पर मन बंटवारा कर रखा है। मनबंटवारे के अनुसार वादीगण के पूर्व खातेदारान का हिस्सा आराजी खसरा नं. 1583 रकबा 1.44 है० में 0.90 है० का पूर्व हिस्सा आराजी खसरा नं. 1584 रकबा 0.85 है० में से 0.01 है० का पूर्व हिस्सा व आराजी खसरा नं. 1585 रकबा 1.45 है० में से 0.02 है० का पूर्वी हिस्सा रहा है तथा मनबंटवारे में आये हिस्से पर कब्जा काश्त रहा है। वादीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी को पूर्व खातेदारान द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त कर कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं जो नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से प्रदर्शित है।

वर्णित आराजीयात का वादीगण के हिस्से में आयी भूमि का मनबंटवारे के हिसाब से आराजीयात का बंटवारा करवाने बाबत प्रतिवादीगण से निवेदन करते रहे हैं परन्तु प्रतिवादीगण वादीगण को आश्वासन देते रहे हैं कि मौके पर बंटवारा कर रखा है कानूनी बंटवारा भी कर लेगे यह कहकर प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे हैं आज से सप्ताह भर पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण को उपरोक्त वर्णित आराजीयात का कानूनी बंटवारा करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण भड़क गये तथा वादीगण को एलानियां धमकी दी है कि हम किसी तरह का कानूनी बंटवारा नहीं करवायेगे तथा तुम्हारे मनबंटवारे में आयी भूमि पर जबरन कब्जा करके रहेगे। इस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को काफी समझाईश की परन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने तथा कानूनी बंटवारा करने से स्पष्ट मना कर दिया इसलिये मान्य न्यायालय के समक्ष उक्त दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है वादी अधिकारी है कि मान्य न्यायालय के द्वारा मनबंटवारे में आई आराजीयात का बंटवारा करवाकर अलग से राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाये।

आ.ख.नं. 1583, 1584 में बने आम सड़क का मौका स्थिति अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम कर रकबा बरारी कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। आ.ख.नं. 1583, 1584, 1585 कुल किता 3 में वादीगण को आ.ख.नं. 1583 रकबा 0.90 है० का पूर्व हिस्सा, आ.ख.नं. 1584 रकबा 0.01 है० का पूर्व व उत्तरी हिस्सा तथा आ.ख.नं. 1585 रकबा 0.02 है० का पूर्वी व उत्तरी हिस्सा कुल 0.93 है० जो नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से प्रदर्शित किया गया है को वादीगण के हिस्से में दिया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे व राजस्व लगान का अलग से निर्धारण किया जावे। प्रतिवादीगण को सदैव के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के हिस्से में आई भूमि पर किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादीगण सं. 16 उपस्थित। अन्य प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। वादीगण व प्रतिवादी सं. 16 ने प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 01.01.2020 को वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी० पत्र पेश किया गया। वकील वादी को प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। दिनांक 09.01.2020 को दुरुस्ती अनुसार पुनः बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट मंगाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार शाहपुरा से दिनांक 08.07.2020 को बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त की गई। वकील वादी द्वारा बंटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की गई, वकील वादी द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि खातेदार लक्ष्मी देवी पत्नि हरनाथ जाति ब्राह्मण की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व ही हो चुकी है तथा उसके वारिसान प्रतिवादी सं. 12 लगा. 15 पूर्व से ही पक्षकार मुकदमा है, मृतक खातेदार लक्ष्मी देवी की भी बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है अतः खातेदार लक्ष्मी देवी के हिस्से को उसके वारिसान प्रतिवादी सं. 12 लगा. 15 को दिया जाकर नियमानुसार बंटवारा कर दिया जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट खातेदार के दर्ज हिस्से अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार आ.ख.नं. 1585 रकबा 1.45 है०, 1584 रकबा 0.85 है० एवं 1583 रकबा 1.44 है० वाके ग्राम बिदारा तह. शाहपुरा का जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य निम्न बंटवारा किया जाकर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक-दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें -

सहायक जल कर्तार  
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

1. आ.ख.नं. 1585/1 रकबा 1.3950 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 20/279 रहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 9 का हिस्सा 40/279, प्रतिवादी सं. 11 का हिस्सा 14/279, प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 30/279 रहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 40/279 रहिन यूको बैंक शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 15 का हिस्सा 29/1395, प्रतिवादी सं. 12 का हिस्सा 29/1395, प्रतिवादी सं. 13 का हिस्सा 29/1395, प्रतिवादी सं. 14 का हिस्सा 29/1395, प्रतिवादी सं. 10 का हिस्सा 14/279, प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा 20/279 रहिन यूको बैंक शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 18 का हिस्सा 24/279, प्रतिवादी सं. 17 का हिस्सा 48/279 भूमि के हिस्से में रहेगी तथा मृतक खातेदार लक्ष्मी देवी पत्नि हरनाथ जाति ब्राह्मण का हिस्सा 29/1395 की भूमि उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 12 लगा 15 के हिस्से में रहेगी।

2. आ0ख0नं0 1585/2 रकबा 0.0550 है0 भूमि में से वादी सं. 4 का हिस्सा 1/4, वादी सं. 3 का हिस्सा 9/40, वादी सं. 5 का हिस्सा 1/4, वादी सं. 2 का हिस्सा 3/20, वादी सं. 1 का हिस्सा 1/8 भूमि के हिस्से में रहेगी।

3. आ0ख0नं0 1584/2 रकबा 0.6150 है0 व 1584/3 रकबा 0.0050 है भूमि में से प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 2/31 रहिन यूको बैंक शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 9 का हिस्सा 4/31, प्रतिवादी सं. 11 का हिस्सा 3/62, प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 7/62 रहिन यूको बैंक शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 1429/6200 रहिन यूको बैंक शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 15 का हिस्सा 7/310, प्रतिवादी सं. 12 का हिस्सा 7/310, प्रतिवादी सं. 13 का हिस्सा 7/310, प्रतिवादी सं. 14 का हिस्सा 7/310, प्रतिवादी सं. 10 का हिस्सा 3/62, प्रतिवादी सं. का हिस्सा 2/31 रहिन यूको बैंक शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 18 का हिस्सा 171/6200, प्रतिवादी सं. 17 का हिस्सा 9/62, प्रतिवादी सं. 16 का हिस्सा 1/62, वादी सं. 4 का हिस्सा 1/4, वादी सं. 3 का हिस्सा 9/40, वादी सं. 5 का हिस्सा 1/4, वादी सं. 2 का हिस्सा 3/20, वादी सं. 1 का हिस्सा 1/8 भूमि के हिस्से में रहेगी मृतक खातेदार लक्ष्मी देवी पत्नि हरनाथ जाति ब्राह्मण का हिस्सा 7/310 की भूमि उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 12 लगा 15 के हिस्से में रहेगी।

4. आ.ख.नं. 1583/2 रकबा 0.7900 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 207/7900 रहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 9 का हिस्सा 207/3950, प्रतिवादी सं. 11 का हिस्सा 363/7900, प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 507/3950 रहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 289/1975 रहिन यूको बैंक शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 15 का हिस्सा 969/39500, प्रतिवादी सं. 12 का हिस्सा 969/39500, प्रतिवादी सं. 13 का हिस्सा 969/39500, प्रतिवादी सं. 14 का हिस्सा 969/39500, प्रतिवादी सं. 10 का हिस्सा 363/7900, प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा 207/279 रहिन यूको बैंक शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 17 का हिस्सा 55/316, प्रतिवादी सं. 16 का हिस्सा 458/1975 भूमि के हिस्से में रहेगी मृतक खातेदार लक्ष्मी देवी पत्नि हरनाथ जाति ब्राह्मण का हिस्सा 969/39500 की भूमि उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 12 लगा 15 के हिस्से में रहेगी।

5. आ0ख0नं0 1585/3 रकबा 0.6500 है0 भूमि में से वादी सं. 4 का हिस्सा 1/4, वादी सं. 3 का हिस्सा 9/40, वादी सं. 5 का हिस्सा 1/4, वादी सं. 2 का हिस्सा 3/20, वादी सं. 1 का हिस्सा 1/8 भूमि के हिस्से में रहेगी।

कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 1-10-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



( नरेंद्र कुमार मीना )  
उप जिला मजिस्ट्रेट  
पदेन सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला जयपुर

## न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी  
वाद संख्या:- श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस  
:- 16/2018

उनवान

1. साधूराम पुत्र जीवन राम यादव जाति अहीर निवासी घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
2. समदाराम पुत्र नाथू राम यादव जाति अहीर निवासी बिदारा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
3. योगेन्द्र कुमार नृसिंह लाल यादव जाति अहीर निवासी घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
4. मुरलीधर पुत्र नाथूराम यादव जाति अहीर निवासी उदावाला तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
5. रमेश चन्द पुत्र दयालराम यादव जाति अहीर निवासी लोचूकाबास तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. कालूराम पुत्र नाथू
2. कौशल्या देवी पत्नी समदाराम यादव
3. प्रेमदेवी पत्नी मालीराम
4. ओमप्रकाश पुत्र मालीराम
5. रामगोपाल पुत्र मालीराम
6. विमला देवी पुत्री मालीराम
7. कमला पुत्री मालीराम
8. मिश्री पुत्री मालीराम
9. कैलाश पुत्र भंवरा

समस्त जाति यादव निवासियान देवा की ढाणी  
तन बिदारा तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

10. पूरण मल पुत्र छोटूराम
11. केशरी देवी पत्नी नृसिंह लाल
12. नर्बदा देवी

समस्त जाति यादव निवासी घासीपुरा  
तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

13. भगवती देवी
14. मुन्नी देवी
15. भगवती देवी

पुत्रियान् हरनाथ जाति ब्राह्मण नि. बावड़ी की ढाणी  
तन घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।


16. मंगली देवी पत्नी प्रभू दयाल यादव नि. बिदारा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
17. सुरजी देवी पत्नी छोटू राम यादव नि. घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
18. सूणी देवी पत्नी कालूराम यादव नि. बिदारा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।
20. प्रबंधक, यूको बैंक शाहपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर।
21. प्रबंधक, ओबी0सी0 बैंक शाखा शाहपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्रराज रकबा बरारी बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार आ.ख.न. 1585 रकबा 1.45 है0, 1584 रकबा 0.85 है0 एवं 1583 रकबा 1.44 है0 वाके ग्राम बिदारा तह. शाहपुरा का जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य निम्न बंटवारा किया जाकर पृथक-पृथक खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक-दूसरे के कब्जे काशत में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे -

1. आ.ख.नं. 1585/1 रकबा 1.3950 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 20/279 रहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 9 का हिस्सा 40/279, प्रतिवादी सं. 11 का हिस्सा 14/279, प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 30/279 रहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 40/279 रहिन यूको बैंक शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 15 का हिस्सा 29/1395, प्रतिवादी सं. 12 का हिस्सा 29/1395, प्रतिवादी सं. 13 का हिस्सा 29/1395, प्रतिवादी सं. 14 का हिस्सा 29/1395, प्रतिवादी सं. 10 का हिस्सा 14/279, प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा 20/279 रहिन यूको बैंक शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 18 का हिस्सा 24/279, प्रतिवादी सं. 17 का हिस्सा 48/279 भूमि के हिस्से में रहेगी तथा मृतक खातेदार लक्ष्मी देवी पत्नि हरनाथ जाति ब्राह्मण का हिस्सा 29/1395 की भूमि उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 12 लगा 15 के हिस्से में रहेगी।

  
सहायक कलक्टर  
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

2. आ0ख0नं0 1585/2 रकबा 0.0550 है0 भूमि में से वादी सं. 4 का हिस्सा 1/4, वादी सं. 3 का हिस्सा 9/40, वादी सं. 5 का हिस्सा 1/4, वादी सं. 2 का हिस्सा 3/20, वादी सं. 1 का हिस्सा 1/8 भूमि के हिस्से में रहेगी।

3. आ0ख0नं0 1584/2 रकबा 0.6150 है0 व 1584/3 रकबा 0.0050 है भूमि में से प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 2/31 रहिन यूको बैंक शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 9 का हिस्सा 4/31, प्रतिवादी सं. 11 का हिस्सा 3/62, प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 7/62 रहिन यूको बैंक शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 1429/6200 रहिन यूको बैंक शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 15 का हिस्सा 7/310, प्रतिवादी सं. 12 का हिस्सा 7/310, प्रतिवादी सं. 13 का हिस्सा 7/310, प्रतिवादी सं. 14 का हिस्सा 7/310, प्रतिवादी सं. 10 का हिस्सा 3/62, प्रतिवादी सं. का हिस्सा 2/31 रहिन यूको बैंक शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 18 का हिस्सा 171/6200, प्रतिवादी सं. 17 का हिस्सा 9/62, प्रतिवादी सं. 16 का हिस्सा 1/62, वादी सं. 4 का हिस्सा 1/4, वादी सं. 3 का हिस्सा 9/40, वादी सं. 5 का हिस्सा 1/4, वादी सं. 2 का हिस्सा 3/20, वादी सं. 1 का हिस्सा 1/8 भूमि के हिस्से में रहेगी मृतक खातेदार लक्ष्मी देवी पत्नि हरनाथ जाति ब्राह्मण का हिस्सा 7/310 की भूमि उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 12 लगा 15 के हिस्से में रहेगी।

4. आ.ख.नं. 1583/2 रकबा 0.7900 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 207/7900 रहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 9 का हिस्सा 207/3950, प्रतिवादी सं. 11 का हिस्सा 363/7900, प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 507/3950 रहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 289/1975 रहिन यूको बैंक शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 15 का हिस्सा 969/39500, प्रतिवादी सं. 12 का हिस्सा 969/39500, प्रतिवादी सं. 13 का हिस्सा 969/39500, प्रतिवादी सं. 14 का हिस्सा 969/39500, प्रतिवादी सं. 10 का हिस्सा 363/7900, प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा 207/279 रहिन यूको बैंक शाहपुरा, प्रतिवादी सं. 17 का हिस्सा 55/316, प्रतिवादी सं. 16 का हिस्सा 458/1975 भूमि के हिस्से में रहेगी मृतक खातेदार लक्ष्मी देवी पत्नि हरनाथ जाति ब्राह्मण का हिस्सा 969/39500 की भूमि उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 12 लगा 15 के हिस्से में रहेगी।

5. आ0ख0नं0 1585/3 रकबा 0.6500 है0 भूमि में से वादी सं. 4 का हिस्सा 1/4, वादी सं. 3 का हिस्सा 9/40, वादी सं. 5 का हिस्सा 1/4, वादी सं. 2 का हिस्सा 3/20, वादी सं. 1 का हिस्सा 1/8 भूमि के हिस्से में रहेगी।

कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

निर्णय आज तारीख 1/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



(नरेन्द्र कुमार मीना)  
उप जिला मजिस्ट्रेट  
पदेन सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

| वादी                               | रूपया | प्रतिवादी                     | रूपया |
|------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प         | /     | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     | /     |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प       |       | अर्जी के लिए स्टाम्प          |       |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प        |       | प्लीडर की फीस                 |       |
| 4. रूपये पर प्लीडर की फीस          |       | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय |       |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय |       | आदेशिका की तामील              |       |
| 6. कमिश्नर की फीस                  |       | कमिश्नर की फीस                |       |
| 7. आदेशिका की तामील                |       |                               |       |
| जोड़                               |       | जोड़                          |       |